(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगौन/भू.रा./2018/1028 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 409/अपील/16-17.

---

1. गेंदाबाई बेवा हीरालाल
2. रमेश पिता हीरालाल

दोनों निवासी झिरन्या, ...आवेदकगण

तहसील झिरन्या, जिला खरगौन

सुरेश पिता हीरालाल

मुकेश पिता हीरालाल

दोनों निवासी झिरन्या,

तहसील झिरन्या, जिला खरगौन, म.प्र.

(पूर्व में ही मृतक होने से इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है)

विरूद्ध

1. ललिताबाई पिता रामु उर्फ हीरालाल,
   पति कैलाश निवासी ग्राम धनगांव
   तहसील छैगांव माखन, जिला खण्डवा, म.प्र.
2. लोकेन्द्र पिता रामु उर्फ हीरालाल,
   निवासी दसौड़ा, तहसील सनावद,
   जिला खरगौन, म.प्र.
3. शीतल पिता रामु उर्फ हीरालाल, अ.पा.
   बहन ललिताबाई पिता रामु उर्फ हीरालाल,
   पति कैलाश निवासी ग्राम धनगांव, तहसील छैगांव माखन,
   जिला खण्डवा, म.प्र.
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   भीकनगांव जिला खरगोन
5. तहसीलदार
   तहसील झिरन्या जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रमेशचंद सोनी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 01.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील झिरन्या के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम झिरन्या की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 230/2 शामिल सर्वे क्रमांक 231 रकबा 4.701 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 256/2 रकबा 0.809 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में उभयपक्ष के नाम से संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित होकर उक्त भूमि का उनके अंश अनुसार बंटवारा किये जाने की प्रार्थना की गई। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/अ-27/14-15 दर्ज कर प्रकरण में उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाकर पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में दिनांक 28.01.2016 को आदेश पारित कर प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होना मानते हुए अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भीकनगांव के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2016 से स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 01.01.2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में विद्यमान तथ्यात्मक व विधिक बिन्दुओं को अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान

नहीं दिया गया है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपने अपील मेमो में कहीं पर भी किस भूमि का बंटवारा किया जाना है व उसका क्या रकबा है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से आवेदकगण की जमीन का बिना कोई उल्लेख करते हुए बंटवारे का आदेश दिनांक 12.07.2016 पारित किया गया है, जो कि पोषणीय न होकर निरस्ती योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचारण नहीं करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ पृथक से कोई भी धारा 5 का आवेदन न होने से भी अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण निरस्ती योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचारण नहीं करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है कि अनावेदक क्र. 3 मृतक सुरेश पिता हीरालाल एवं अनावेदक क्रमांक 4 मुकेश पिता हीरालाल अपील प्रस्तुत करने के पूर्व से ही मृतक हो चुके थे, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2016 मृतक पक्षकारों पर पारित किया गया है जो कि विधि विपरीत होने से इसी स्तर पर पोषणीय न होकर निरस्ती योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचारण नहीं करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है कि अनावेदकगण की माता लक्ष्मीबाई द्वारा भी अपने जीवनकाल में विभिन्न व्यक्तियों से शादी की थी, लक्ष्मीबाई द्वारा किन-किन व्यक्तियों से शादी की गई थी तथा अनावेदकगण किस व्यक्ति के पुत्र व पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख भी उनके द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो में नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई प्रमाण व दस्तावेज उनके द्वारा अपने अपील मेमो में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में भी आलोच्य दोनों ही आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचारण नहीं करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है कि जशोदाबाई कभी भी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उल्लेखित वंशवृक्ष के पितृपुरूष हीरालाल की पत्नी कभी भी नहीं रहीं है। अनावेदकगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश किया गया है कि जसोदाबाई, हीरालाल की पत्नी थी तथा लक्ष्मीबाई हीरालाल की पुत्री थी। पदनुसार अनुविभागीय अधिकारी व अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(6) अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा इस विधिक तथ्य पर विचार न करते हुए गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है कि हीरालाल की मृत्यु उपरांत सदर भूमि आवेदकगण के नाम पर भी विधिवत रूप

से नामांतरित हुई है तथा उक्त नामांतरण को कोई चुनौती न दिये जाने से नामांतरण अंतिम होकर बंधनकारी हो गया है। इस तथ्य की भी अनदेखी किये जाने से आलोच्य आदेश दिनांक 01.01.2018 व 12.07.2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(7) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी विचारण नहीं करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है कि कार्यालय ग्राम पंचायत झिरन्या द्वारा एक प्रमाण पत्र इस आशय का दिया गया है कि अनावेदक की माता मृतक लक्ष्मीबाई पति रामू का जन्म एवं मृत्यु ग्राम झिरन्या में नहीं हुई तथा ग्राम झिरन्या में उनके निवास का कोई शासकीय रिकॉर्ड नहीं है।

(8) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी विचारण नहीं करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 की अनदेखी कर तथा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए अनावेदकगण का नामांतरण किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(9) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी विचारण नहीं करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है कि उक्त प्रकरण में सिविल न्यायालय से स्वत्व के विवाद के निराकरण के बिना क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से बाहर जाकर किसी का नामांतरण या बंटवारा नहीं किया जा सकता है, उसके बावजूद भी क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किये गये हैं, जो कि निरस्ती योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया है, जो कि विधिसंगत आदेश है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी यथावत रखा गया है है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वत्व के अनुसार बटवारा करने का तो निर्णय सही

निर्णय लिया है लेकिन स्वत्व (हिस्से) तय करते समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की है । दो पत्नियों को बराबर-बराबर हिस्सा दिया है, जबकि वर्ग एक के उत्तराधिकारियों में पत्नी तथा सभी बच्चों का समान एवं बराबर हिस्सा बनता है । अपर आयुक्त द्वारा भी इस विधिक प्रावधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । अत: इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह स्वत्व का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार परीक्षण कर हिस्सा तय कर, नियमानुसार बटवारे की कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर